कोरूगेटेड बॉक्स इंडस्ट्री संकट में

दैनिक विश्वमित्र विशेष

MOHIT BAJAJ

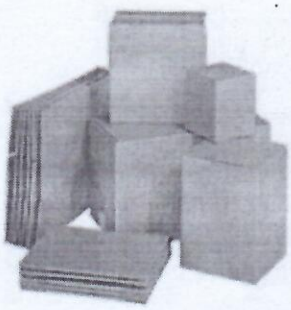

Discouragement of automation and expansion, refund of input credit on capital goods and spare parts are not allowed, creating barriers for new investment and limiting India's ability to deliver world-class packaging for pharma, FMCG, essentials, and exports - undermining the "Made in India" initiative. Import of Capital Goods will be tax free, killing the Machine industry, contrary to "Vocal For Local"

कोलकाता, 20 सितंबर (नि.प्र.)। हाल ही में भारत सरकार ने गुड्स सर्विस टैक्स (जीएसटी) में व्यापक पैमाने पर सुधार किया है, जीएसटी की दरों को तर्कसंगत और सरल सहज बनया है, लेकिन कई तरह की असमानताएं रह गई हैं। नतीजतन कोरूगेटेड बॉक्स मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग पर संकट के बादल छा गए हैं। दैनिक विश्वमित्र से बातचीत करते हुए कोरूगेटेड बॉक्स मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष तथा गुडलक पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मोहित बजाज ने कहा कि सरकार ने जल्द से जल्द अगर इस मसले पर ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति काफी बिगड़ जाएगी।

श्री बजाज ने कहा कि कोरूगेटेड पेपर पैकेजिंग उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है, जिसकी लगभग 20,000 इकाइयाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देती हैं। यह 100% एमएसएमई-संचालित क्षेत्र सालाना लगभग 70 लाख टन क्राफ्ट पेपर को कोरूगेटेड पैकेजिंग में परिवर्तित करता है। जीएसटी 2.0 के तहत, कोरूगेटेड पेपर बोर्ड बॉक्स (कार्टन, बॉक्स) पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करना एक स्वागत योग्य कदम है। हालाँकि, हमारे प्राथमिक कच्चे माल-क्राफ्ट पेपर और बोर्ड-पर जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% करने से एक विपरीत शुल्क संरचना बन गई है, जिससे उद्योग पर 13% का बोझ पड़ रहा है। एमएसएमई को समर्थन देने के बजाय, इसके परिणामस्वरूप: इनपुट टैक्स क्रेडिट के संचय के कारण कार्यशील पूँजी में भारी रुकावट, कच्चे माल, ब्याज और अनुपालन लागत में वृद्धि।

सेवाओं पर इनपुट क्रेडिट सहित) की वापसी न होने के कारण इनपुट सेवा लागत में वृद्धि। इससे ठेका श्रम, जॉब वर्क, किराया, मरम्मत और रखरखाव पर लागत 18% और माल ढुलाई पर 5% बढ़ जाती है। आम आदमी के लिए बढ़ी हुई कीमतें। जीएसटी 2.0 का उद्देश्य वस्तुओं की लागत कम करना था; विडंबना यह है कि इस बदलाव से पैकेजिंग लागत बढ़ेगी और बदले में, सभी पैकेज्ड वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी - जिससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। बोझिल रिफंड प्रक्रियाएँ, जो मालिक-संचालित एमएसएमई के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हैं, निर्बाध क्रेडिट के सिद्धांत को विफल करती हैं; व्यापार करने में आसानी के विपरीत, हम रिफंड के लिए विभाग की दया पर निर्भर होंगे। स्वचालन और विस्तार को हतोत्साहित करना, पूंजीगत वस्तुओं और स्पेयर पार्ट्स पर इनपुट क्रेडिट की वापसी की अनुमति नहीं देना, नए निवेश के लिए बाधाएँ पैदा करना जिससे मशीन उद्योग ख़त्म हो जाएगा, जो वोकल फॉर लोकल के विपरीत है।

उद्योग व्यवहार्य बना हुआ है और देश भर में आवश्यक आपूर्ति श्रृंखलाओं को समर्थन देना जारी रखता है और निर्यात के लिए विश्व स्तरीय पैकेजिंग प्रदान करता है। चूँकि आवक और जावक दोनों आपूर्तियाँ बी2बी लेनदेन हैं जहाँ प्रत्येक चरण में आईटीसी का लाभ उठाया जाता है, इसलिए इस परिवर्तन का सरकारी राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह के समर्थन से भारत भर के हजारों कन्वर्टर्स को अत्यंत आवश्यक राहत मिलेगी, जिससे इस महत्वपूर्ण एमएसएमई क्षेत्र के लिए निरंतर विकास, आधुनिकीकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता संभव होगी और पैकेजिंग लागत को नियंत्रित किया जा सकेगा। नालीदार पैकेजिंग उद्योग, इसके श्रमिकों, विक्रेताओं, ग्राहकों और भारतीय अर्थव्यवस्था के हित

वस्तुओं और निर्यात के लिए विश्व स्तरीय पैकेजिंग प्रदान करने की भारत की क्षमता को सीमित करना - मेड इन इंडिया पहल को कमजोर करना। पूंजीगत वस्तुओं का आयात कर मुक्त होगा,